



2026:AHC:179116

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8776 सन् 2026

विशाल चौधरी (नाबालिग)

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : अलका उपाध्याय, नंदिनी भारतीय, योगेश शर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 241/2026, भा.ना.सं. की धारा 108, 351(3) के अंतर्गत, थाना पलिमुकीमपुर, जनपद अलीगढ़ में, उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक माह पश्चात दर्ज कराई गई। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई अभिकथन अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि मृतक को आवेदक द्वारा आत्महत्या हेतु उकसाया अथवा दुष्प्रेरित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज कराई गई थी। मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने कथन किया कि वह अपनी पत्नी, आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों के कृत्य के कारण आत्महत्या कर रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक मृतक की पत्नी का चचेरा भाई है। उसने वीडियो में यह कथन नहीं किया कि आवेदक अथवा अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा उसे आत्महत्या हेतु उकसाया अथवा प्रकोपित किया गया था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदक की गिरफ्तारी से परिवार को अपूरणीय कष्ट होगा। मृतक मानसिक तनाव में था तथा उसने आवेदक की ओर से किसी उकसावे अथवा प्रकोपन के बिना अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। विधि के अंतर्गत अपेक्षित दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व वर्तमान मामले में पूर्णतः अनुपस्थित हैं। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक विवेचना तथा विचारण के दौरान सहयोग करने तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, तथापि, वे तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करते।

6. मैंने दोनों पक्षों के प्रतिस्पर्धी निवेदनों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

7. **सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना के मार्ग को प्रभावित करने अथवा साक्षियों को धमकाने सहित साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़कर जाना इत्यादि, पर विचार करना होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करते समय सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारणों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान करना अथवा न करना विवेकाधिकार का विषय है।

8. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 676** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो जाती है अथवा यह जघन्य अपराध हो अथवा जहां साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तार करने की शक्ति के विद्यमान होने तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान को अगणनीय क्षति पहुंचा सकता है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवहेलना करेगा तथा वास्तव में उसने सदैव विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं है।

9. निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला के माध्यम से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह दोहराया है कि धारा 306 आईपीसी/108 भा.ना.सं. के अंतर्गत अपराध बनाने हेतु, अभियुक्त की ओर से, संबंधित व्यक्ति की आत्महत्या को उक्त दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप लाने के आशय के साथ, धारा 107 आईपीसी/45 भा.ना.सं. में परिकल्पित विशिष्ट दुष्प्रेरण अपेक्षित है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक को आत्महत्या करने हेतु सहायता करने, उकसाने अथवा दुष्प्रेरित करने का अभियुक्त का आशय धारा 306 आईपीसी/108 भा.ना.सं. को आकर्षित करने हेतु अनिवार्य है [देखें **मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य एवं 1 अन्य, (2010) 8 एससीसी 628**]। आगे, कथित उत्पीड़न ऐसा होना चाहिए जिसने पीड़ित को अपने जीवन को समाप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न छोड़ा हो तथा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या हेतु उकसाने के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है [देखें **अमलेन्दु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एससीसी 707** तथा **एम. मोहन बनाम राज्य, (2011) 3 एससीसी 626** तथा **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2001) 9 एससीसी 618**]।

10. इन सिद्धांतों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में **महेन्द्र अवासे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 आईएनएससी 76** में पुनः प्रतिपादित किया गया है।

11. आवेदक का मामला उपर्युक्त निर्णयों के दायरे में पूर्णतः आता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. अग्रिम जमानत से संबंधित सुस्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों, अभियोग की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले की सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत हेतु मामला बनता है।

13. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) उक्त मामले में सम्मिलित आवेदक-विशाल चौधरी की गिरफ्तारी की दशा में, उसे संबंधित थाने के थानाध्यक्ष अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर रु.50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा तत्समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ, विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी को सहयोग देगा तथा विवेचना संचालन के प्रयोजन हेतु जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

25 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला